Kartik Book Keeping

Q. No. 2 → उच्चन्त (Suspense) खाता क्या है? (भूल-चूक खाता)

उत्तर → अर्थ :-
जब विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी तलपट के नाम पक्ष व जमा पक्ष के योग बराबर नहीं हो पाते तो तलपट मिलाने के लिए अन्तर की राशि 'उच्चन्त' या 'भूल-चूक' खाते (Suspense A/c) में लिखा जाता है। अगर तलपट के डेबिट पक्ष का योग अधिक रहता है तो भूल-चूक खाते की राशि क्रेडिट पक्ष में लिख दी जाती है और यदि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक रहता है तो भूल-चूक खाते की राशि डेबिट पक्ष में लिख दी जाती है।

चिट्ठे में भूल-चूक खाते को दिखाना :-
यदि भूल-चूक खाते की राशि तलपट के डेबिट पक्ष में लिखी गयी है तो भूल-चूक खाते को आर्थिक चिट्ठे में ~~सम्पत्ति~~ सम्पत्ति पक्ष में दिखाया जायेगा। इसके विपरीत, यदि तलपट के क्रेडिट पक्ष में भूल-चूक की राशि ~~लिखि~~ लिखी गयी है तो भूल-चूक खाता अर्थिक चिट्ठे के दायित्वों पक्ष में लिखा जायेगा।

भूल-चूक खाते को बन्द करना :-
भविष्य में भूल-चूक खाते को बन्द किया जायेगा। इसके पहले अशुद्धियों को ढूँढा जायेगा, फिर अशुद्धियों के सुधार हेतु जर्नल के आवश्यक लेखे किये जायेंगे। एक खाता तो भूल-चूक से सम्बन्धित होगा और दूसरा अशुद्धियों से। सभी अशुद्धियों का पता लग जाने एवं जर्नल की प्रविष्टियाँ हो जाने पर 'भूल-चूक खाता' स्वतः ही बन्द हो जायेगा।

Scanned with CamScanner

Q.No.3 -> लाभ-हानि समायोजन खाता या पुर्नमूल्यांकन खाता क्या है? यह कब बनाया जाता है?

उत्तर -> लाभ-हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता (Profit & Loss Adjustment Account / Revaluation Account) :- नये साझेदार के प्रवेश पर कभी-कभी फर्म की सम्पत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। सम्पत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा लाभ-हानि का पता चलता है जिसे पुराने साझेदारों में उनके लाभ-हानि के अनुपात में बाँटकर उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ-हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता कहा जाता है।

यह ~~कारणों~~ ~~पर~~ निम्नलिखित कारणों पर बनाया जाता है :-

(1) सम्पत्ति के मूल्य में कमी होने, मूल्य ह्रास, अप्राप्य ऋण, देनदारों पर अप्राप्य ऋण के लिए संचिति, छूट रहित संचिति, प्राप्य बिलों के लिए संचय तथा देनदारियों के लिए।

(2) सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि, लेनदारों पर छूट रहित संचिति करने, पूर्वदत्त व्ययों, अप्राप्य ऋण संचिति में कमी होने के लिए।

(3) यदि किसी सम्पत्ति का लेखा चिट्ठा में लिखने से छूट गया हो।

(4) दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होने पर। तथा

(5) दायित्वों के मूल्य में कमी होने पर।

(6) दायित्व का लिखने से छूट जाने पर।

(7) ~~पुनमू~~ पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर।

(8) पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर।

Scanned with CamScanner